

राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार केम्प.....2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0)  
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा  
प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0 24/5/2018  
फैसल दि0 24/5/2018

श्री शाहीलाल पि.  
रतनजी परेल  
(वादी)


अनवान  
बनाम

भूमिधारी तहसीलदार  
सागवाडा  
(प्रतिवादी)

वादी श्री शाहीलाल | रतनजी ने वाद प्रस्तुत कर  
मोजा कामडावा के खाता नम्बर 89 जमाबन्दी सं0 2072-75  
में अंकित स्वयं/पित्त का नाम शाहल  
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है  
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर  
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम  
शाहीलाल है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम  
शाहल दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।  
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पित्त का सही नाम शाहीलाल  
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता  
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद  
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/मल्लिकोट को आदेश दिया  
जाता है कि मोजा कामडावा की जमाबन्दी संवत 2072-75 के  
खाता संख्या 89 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम  
शाहल में संशोधन कर सही नाम  
शाहीलाल दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
हो नम्बर से कम हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सागवाडा